(4) (15) 3616 (I) 3

बयनामा

थाना कटघर

बयनामा 3,00,000" /रु० मालयती 3,00,000 /रु० स्टाम्प 43500- /रु०

मैंकि भोलू वलद श्री तफज्जल निवासी,गाम पन्डित नगला परगना व जिला मुरादाबाद का हूँ-

जो कि एक किता जायदाद जैल व जमीं ताल्लूकात मुताल्लिक उसके बाके पन्डित नगला बाहर हद्‌दनगरपालिका ....परगना व जिला मुरादाबाद महद्‌दा जैल जिसके मुकिर/मुकिरान बहैसियत मालिकाना मालिक काबिज व दखील हैं जिसकी निस्वत मुझको/हमको कुल अख्तयारात इन्तकालात मालिकाना प्राप्त है कोई आम्रमाने इन्तकाल हाजा नहीं है जो इस समय तक हर प्रकार के बार मिस्ल रहन, बय, हिवा जमानत किफालत कुर्की व नीलामी, मुआयदा बय दीगरे व लोन सरकारी व गैर सरकारी गरज कि हर नुक्स कानूनी व शास्त्री आदि से कतई वरी व पाक साफ है। लिहाजा बहालत दुरस्ती होस हवास खमसा बिला बहकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के खूब सोच समझकर तमामी शयमुबइया मजकूरा वाला को मय तमामी हद्‌द व हकूक दाखली व खारजी व मय हकूक आबरेजी हर किस्म व मय हक रास्ता आमदोरफ्त व मय दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिका उसके को बिला छोड़े किसी जुज व हक व हिस्से के बिलएवज

मुबलिग .... तीनलाख 3,00,000/-रू0

आधे जिसके 1,50,000/-रू0 .... होते हैं

बदस्त श्रीमती आयशा जफर पत्नि श्री मुहम्मद जफर मो0 पीरगैब शहर मुरादाबाद

बय कतई और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन उसका हस्व तफसील जैल खरीदार से वसूल पाकर तमामी शयमुबईया मजकूरा वाला का कब्जा व दखल मालिकाना मिस्ल जात खास अपनी के खरीदार मजकूर का करा दिया मैंने/हमने अब मेरा/हमारा या किसी वारिस का कुछ हक व ताल्लुक मालिकाना व दावा किसी किस्म का निस्वत शयमुबइया या जरे समन उसके से बाकी नहीं रहा और न आइन्दा कभी होगा। चुनाचे तक़ाविजुल बदलैन उसका बाहम विक्रेता और खरीदार मजकूर के अमल में आ गया जुमला जमाने दर्क व इस्तहकाक उसका व जिम्मे मेरे/हमारे हैं अगर बाद को कोई कानूनन या शास्त्रन बाके आवे। अगर बाद को किसी वक्त में किसी फेल विक्रेता या कर्जख्वाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की दावेदारी से शयमुबइया का जुज या कुल कब्जे खरीदार या वारिसान उनके से निकल जावे या बगरज तहफ्फुज शयमुबइया खरीदार को कुछ सर्फा मजीद खर्च या अदा करना पड़े तो उसी कदर जरे समन की वापसी का मुकिर/मुकिरान मजकूर अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हर्जे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार रहूँगा/रहेंगे वनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियाँ व जिम्मेदारियाँ व जिम्मे मुकिर/मुकिरान होंगी। अब खरीदार को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी में से हमारा नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले विक्रेता वारिसान मुकिरान को कुछ उज्रव एतराज न होगा। अतः यह बयनामा कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरुरत पर काम आवे। इति।

तफसील वसूली जरे समन कब्ल रजिस्टरी बयनामा वसूलपाये।

तफसील जायदाद ....

नि० अ० भोलू

79

In pursuance of the order of the Collector No. X dated 02/4/94 passed under Section 10-A of the Stamp Act

It is Certified that an amount of Rs 43500-00 (in words Rs Forty three thousand five hundred only) has been paid in cash as Stamp duty in respect of this instrument in the State Bank of India/Treasury of Moradabad, by Challan No. A-18 dated 24/8/94 a Copy of which is annexed herewith.

Dated 25/8/94.

I

Officer Incharge,
Treasury Moradabad,
25/8/94

कोषगृह-पत्र

A/18

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया

ट्रेजरी/सब ट्रेजरी

कोषगृह अधिकारी या विभागीय अधिकारी के लिए		
कम्पनी जमा करने का विवरण	रकम रु०	पै०
	43500	00

43500/-

Rs Forty three thousand five hundred only

कोषगृह अधिकारी/एजेन्ट

दिनांक

30

Stamp Certificate

M.O.C.No. 1734

ना

रु० 300000/-

25/10/10

2711-1000

J.T.C.NO 261

जोकि आराजी काश्त खसरानम्बरी 8/12 आठ बटा बारह रकबई 5-20 पाँच एकड़ बीस डिसमिल स्थित,ग्राम पन्डित नगला बाहर हुदूदनगर पालिका तहसील वजिला मुरादाबाद के 1/2 एक बटा दो भाग का बहैसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हूँ जिसमे से 10बीघा यानी 1-60 एक एकड़ साठ डि0 बजरिये बयनामा हाजा मुबईया है यानी बेची गयी है जो कि आराजी काश्त इस वक्त तक हरकिस्मके बार से कतई पाक व साफ है और जिसके पाक व साफ होने का इतमीनान खरीदारा हाजा को अपने इलम जाती से बखूबी करादिया है। वर्तमान मे भी यह हरतरह से व हर किस्म के बार से मिस्ल रहन, बय व मुआयेदा बय दीगरे व कुर्की जमानत आदि से व हर तरह का मुकदमे बाजी से पाकसाफ है। और भविष्य मे भी हरतरह से पाक व साफ होने की समस्त जिम्मेदारी मुझ मुकिर की होगी और अगर भविष्य मे भी कोई किसी तरह की इस आराजी कीबाबत कोई भी कानूनी परेशानी आती है या कोई देनदारी आइन्दा होतीहै तो उसकी भी समस्त जिम्मेदारी मुझ मुकिर कीहोगा। यह आराजी चूँकि नगरपालिका सीमा से एक कि0मी0 के बाहर हैइसलिये यह आराजी नगरपालिका सीमा से बाहर होने की वजह से सीलिंग अधिनियम 1976 के प्राविधानो से प्रभावित नहीहै। यह तथ्य सप्रा0 न0भू0सी0 मुरादाबाद द्वारा जारी अनापत्ति,प्रमाण पत्र स0 341 दिनाँक 11-10-91 व नम्बरी 173 दि029-12-73 व नम्बरी 111/ 15-11-70 व नम्बरी 575 दि0 31-2-89 से सिध्द है। जिसे सलग्न नक्शे मे लाल रँग से दिखाया गया है यहभूमि पूर्ण रूप से कृषि भूमि है तथा कृषि के हीउपयोग मे आ रहा है। इसके चारो और कृषि का ही इलाका है। यह आराजी

नि0अ0
मोनू

आज दिनांक 27/8/95 की फोटो स्टेट प्रति
पुस्तक संख्या I खण्ड 928 के पृष्ठ 145/150 पर
क्रम संख्या 3616 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

सब रजिस्ट्रार, मुरादाबाद

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश